गोद में बनी दुल्हन का फिर लौटा बचपन

विजय द्विवेदी, श्रावस्ती

यह किसी सुखांत फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लग सकता है, लेकिन है बिल्कुल हकीकत। तीन साल की एक लड़की की शादी 14 साल के लड़के से तब करा दी गई जब उसे इस शब्द का अर्थ भी नहीं मालूम था, लेकिन सामाजिक बदलाव की दिशा में किए जा रहे एक प्रयास ने इस छोटे से जिले में बदलाव की ऐसी लहर पैदा की कि नन्हीं दुल्हन का भाग्य पलटा और उसका बचपन फिर लौट आया। यह कहानी अब समय के साथ धुंधली पड़ती जा रही है, लेकिन इसका संदेश आज भी ताजा है।

साक्षरता दर में सबसे पिछले पायदान पर खड़े नेपाल सीमा पर स्थित श्रावस्ती जिले के जमुनहा ब्लॉक क्षेत्र के नकही गांव में बाल विवाह का ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है। यहां के मंगरे ने अपनी तीन वर्षीय पुत्री आयशा (परिवर्तित नाम) का विवाह एक मई, 2007 को तुलसीपुर चौराहा निवासी 14 वर्ष के फरीदी (परिवर्तित नाम) के साथ किया था। शादी के करीब साढ़े चार वर्ष बाद यानी

पस्तों में दबा खुशनुमा सच

- तीन वर्ष की लड़की दुल्हन और 14 वर्ष का लड़का बना दूल्हा
- पांच साल बाद गौना रोकने पर हुई पंचायत में हुआ तलाक

12 नवंबर, 2011 को गौने की तारीख तय की गई। गौने के समय लड़की की उम्र करीब साढ़े सात साल और लड़के की साढ़े 18 वर्ष थी लेकिन विदाई के ठीक पहले मंगरे ने गौने से इन्कार कर दिया। इस इन्कार को लड़के वालों ने नहीं माना और नाते-रिश्तेदार के साथ गौने के लिए पहुंच गए। काफी विवाद के बाद इसी दिन पंचायत बैठी जिसमें चौगोई की प्रधान नूरजहां व तुलसीपुर की प्रधान गौरी देवी समेत अन्य लोग शामिल हुए। सुलह-समझौते के तहत तलाकनामा लिखा गया और संबद्ध विच्छेद हो गया।

समझाने से सुलझी उलझन

शादी के बाद गौने से मंगरे का इन्कार यूं ही नहीं हुआ। दरअसल, इस बीच मंगरे का संपर्क बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रही एक संस्था के साथ हुआ जो जमुनहा के 50 गांवों में बाल शिक्षा अधिकार समिति का गठन कर बच्चियों की शिक्षा के लिए अभिभावकों को जागरूक कर रही है। मंगरे अब इस समिति के अध्यक्ष हैं। बाल विवाह जैसी कुरीतियों के प्रति जब उसका हृदय परिवर्तन हो गया तो बेटी का गौना देने का फैसला बदल दिया। समाज व नाते-रिश्तेदारों का दबाव भी बना लेकिन वह अपने फैसले पर अडिग रहा और उसने तय कर लिया कि बच्ची की आंखों में देख कर ही गौने का फैसला लिया जाएगा। बकौल मंगरे वह अपनी बेटी को अभी और पढ़ाएगा और बालिग होने पर ही उसका विवाह करेगा। लड़की भी कह रही है कि वह पढ़ाई पूरी कर शादी करेगी।

समाज को सवाल देकर अब दोनों संतुष्ट

आयशा नकही गांव में ग्रामीण बालिका शिक्षा केंद्र में कक्षा चार की छात्रा है। लड़का फरीदी मजदूरी मेहनत कर रहा है। फरीदी की दूसरी शादी इसी क्षेत्र के एक गांव में करीब ढाई वर्ष पूर्व हो गई है। दोनों पक्षों की ओर से पंचायत के बाद कोई अपील या फरियाद नहीं की गई है। दोनों पंचायत के फैसले को अंतिम मान रहे हैं।

सवाल अभी बाकी हैं

निकाह के लिए अधिकृत मदरसा अनवार तैयबा के हाफिज अतीक अहमद का कहना है कि शरीयत के अनुसार यह विवाह मान्य है। हालांकि तलाक के मामले में वह कहते हैं कि नाबालिग का कौल शरीयत में कोई एतबार नहीं रखता जब तक उनका कोई वली एकरार न कर लें। नाबालिग हजार बार तलाक शब्द कहे तो शरीयत के अनुसार कबूल नहीं होगा।

आइआइएम-ए का इम्पैक्ट

मंगरे के हृदय परिवर्तन में अहम भूमिका निभाने वाली देहात संस्था के निदेशक डॉ. जीतेंद्र चतुर्वेदी कहते हैं कि वर्ष 2010 से विकास खंड जमुनहा के 30 गांवों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिले में कार्य करना शुरू किया। संस्था को आइआइएम अहमदाबाद के 1978 बैच के छात्रों द्वारा गठित संस्था इंपैक्ट से सहायता मिलती है।

Download Free Software
mobogenie.com/download-software